International Journal of Applied Research 2016; 2(4): 760-762

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2016; 2(4): 760-762
www.allresearchjournal.com
Received: 28-02-2016
Accepted: 26-03-2016

नीतु गौरव
शिक्षिका, एस.एम. उच्च विद्यालय, बसैठ, मधुबनी, बिहार, भारत

Corresponding Author:
नीतु गौरव
शिक्षिका, एस.एम. उच्च विद्यालय, बसैठ, मधुबनी, बिहार, भारत

राजनीतिक भ्रष्टाचारः कारण और निवारण

नीतु गौरव

सारांशः
हमारा देश अनेक समस्याओं से ग्रसित है, जैसे गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, आतंकवाद, अशिक्षा, भ्रष्टाचार आदि। इनमें सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार यूँ तो देश की तमाम व्यवस्था में व्याप्त है, पर इसकी आधार शिला है– राजनीतिक भ्रष्टाचार। राजनीतिक और भ्रष्टाचार का गहरा संबंध स्थापित हो गया है। चुनाव जीतने से लेकर सत्ता में रहने तक की तिकड़मवाजी सर्वविदित है। जनता की स्थिति के प्रति लापरवाह सत्ताधारी सरकारी खजाने को लूटने में अपनी पूरी शक्ति लगाए रहते हैं। राजनेताओं के द्वारा किये गये। अतएव कहा जा सकता है कि अगर हम एक परिष्कृत राष्ट्र चाहते हैं, अगर हम रामराज की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम राजनीति में निहित भ्रष्टाचार को मिटाना होगा।

प्रस्तावनाः
यह सर्वविदित है कि एक बड़ी संख्या में राजनीतिज्ञ न केवल भारत में बल्कि विश्व में भ्रष्ट है। राजनीतिज्ञों के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होने पर लोगों को कभी आघात नहीं पहुँचता। ईमानदार राजनीतिज्ञ वर्तमान में लुप्तप्राय प्रजाति होती जा रही है। भ्रष्ट राजनीतिज्ञ न केवल बेदाग, बिना दंड के बच निकलते हैं, बल्कि वे तो राजनीतिक मंच पर सम्माननीय नेता के रूप में अकड़ कर चलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे मंत्रियों के उदाहरण कम हैं, जिनकी मृत्यु पर बैंक में जमा राशि नगण्य थी। हमारी इस धरती पर जब एक व्यक्ति बेराजगारी के कारण अपने भूखे बच्चों की रोटी का प्रबंध करने के लिए चोरी करता है, तब उसको जेल की हवा खानी पड़ती है, जबकि वे लोग जो देश को दोनों हाथों से लूटने में लगे हैं, सम्माननीय नागरिक होते हैं, क्योंकि या तो वे राजनीति में बड़ी तोप हैं या सत्ता के केंद्र।
क्या हमारे समाज में भ्रष्टाचार को रोकना संभव है? कई नेता जब प्रथम बार सत्ता में आते हैं तो घोषणा करते हैं कि वे भ्रष्टाचार मिटाने के लिए वचनबद्ध हैं, लेकिन जल्दी ही वे स्वयं भ्रष्ट हो जाते हैं और धन इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। 1977 में जब बंगाल में कम्युनिस्ट सरकार सत्ता में आई, तब यह कहा जा रहा था कि यह कुछ ही वर्षों में भ्रष्टाचार समाप्त कर देगी। आज पार्टी में अधिकतर सत्ताधारी नेता इस हद तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि पोलिटब्यूरों का एक सदस्य, जो एक समय त्रिपुरा का मुख्यमंत्री था, को अप्रैल, 1995 में पार्टी से ही इस कारण निकाल दिया गया, क्योंकि उसने पार्टी के शीर्षस्थ व्यक्ति को भ्रष्ट और भाई–भतीजावाद में लिप्त होने का दोषी ठहराया। 1984 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भी भ्रष्टाचार के विरूद्ध जंग का ऐलान कर दिया, लेकिन जल्दी ही वे स्वयं बोफोर्स घोटले में आरोपित हो गए। इस प्रकार भ्रष्टाचार एक संस्थात्मक रूप ले चुका है।[1]
भ्रष्टाचार के विषय में कई भ्रामक धारणाएँ हैं जिनको हमें मिटाना पड़ेगा यदि इससे हम वास्तव में लड़ना चाहते हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं : भ्रष्टाचार जीवनशैली बन गया है और अब इसके विषय में कुछ भी नहीं किया जा सकता, या कि भ्रष्टाचार स्वतंत्र्योत्तर कालकी घटना है और यह जनतंत्र में लोगों को अत्यधिक आजादी देने का परिणाम है, या कि गरीब और पिछड़े देशों के लोग सामान्यतः बेईमान और स्वभाव में अविश्वसनीय होते हैं और आसानी से ललचा जाते हैं, जबकि विकसित देशों के लोग भ्रष्टाचार में कम लिप्त होते हैं, या कि भ्रष्टाचार केवल निम्न या आधीनस्थ स्तर पर ही होता है, या कि भ्रष्टाचार शिक्षित लोगों की अपेक्षा अशिक्षित लोगों में अधिक पाया जाता है, या कि भ्रष्टाचार प्रमुखतः राजनीतिज्ञों के कारण फैलता है। यह सभी भ्रमात्मक तथ्य अत्यंत भद्दे और अशोधित हैं और भ्रष्टाचार को रोकने के उपायों की योजना बनाते समय हमें इनसे सावधान रहना है।
भ्रष्टाचार को कम करने के कुछ तरीके सुझाए गए हैं। ये हैं : एक, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए हमें कानून, कार्यविधि, और प्रशासन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। विशिष्ट स्तर और विशिष्ट व्यक्तियों के विशेष स्थितियों में काम करने और व्यवहार करने के संबंध में कानून और नियमों का

होना आवश्यक है। 'बुरे' कानूनों/नियमों को समाप्त किया जाना चाहिए। यदि कानून/नियम अत्यंत कठोर, जटिल और द्विअर्थक हों तो इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा ही। कानून ऐसे न हों कि उनमें विवेक प्रयोग की अत्यधिक छूट हो। विवेक का प्रयोग अधिकारी के स्तर और उसकी भूमिका के आधार पर निश्चित होना चाहिए। प्रशासनिक कारकों में संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक दोनों ही कारक शामिल हैं। संगठन की संरचना किस प्रकार की है यह तथ्य भ्रष्टाचार के लिए कमजोरियों का निर्धारण करेगा। प्रकार्यात्मकता कर्म करने की निरंतर प्रक्रिया को इंगित करती है जो कि कार्य की गुणवत्ता, परिमाण, निरीक्षण तथा मान्य कमियों की अधिकता दर्शाती है।[2] दो, कृत्रिम कमी और अभावों पर नियंत्रण हो जिससे अवैध संतुष्टि की सुविधा को बल मिलता है, तीन, सतर्कता के वृद्धि हो। यह एक भ्रम है कि सतर्कता से कुशलता में बाधा उत्पन्न होती है, बल्कि यह तो इसमें वृद्धि करती है। संदिग्ध अधिकारी जिनकी निष्ठा संदेहास्पद हो, को संवेदनशील पदों से दूर रखा जाये। भ्रष्टाचार के ज्वलंत बिंदुओं का अचानक निरीक्षण किया जाये। चार, उदारीकरण की नीति को सावधानी से लागू किया जाये। कभी–कभी उदारीकरण और मुक्त बाजार की नीतियाँ भ्रष्टाचार को कम करती है, लेकिन वर्तमान में उदारीकृत अनुमतियाँ, कोई 'पक्षपात' प्राप्त करने के बदले में स्वीकृत की जाती हैं! अमेरिका, जापान, दक्षिणी कोरिया, इंडोनिशिया, थाइलैंड और मलेशिया जैसे पूंजीवादी देश अत्यधिक भ्रष्ट समाजों में गिने जाते हैं। जापान में तो आए दिन हम भ्रष्टाचार, घोटालों आदि के विषय में सुनते रहते हैं जो कि बेईमानी और दम्भ के संस्थानीकरण को दर्शाते हैं। पाँच, चुनाव के खर्चों पर सख्ती से नियंत्रण लगाया जाये। अंतिम, भ्रष्टाचार को सफलता से रोकने के लिए लोगों का सहयोग लिया जाना चाहिए। हम अंतिम दो उपायों की विस्तार से विवेचना करेंगे।[3]

भ्रष्टाचार के मामलों की सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी जाती? क्या इसलिए कि लोगों को डर रहता है कि भ्रष्ट लोग उन्हें ही हानि पहुँचा देंगे? वे उदासीन होते हैं कि समाज को सुधारना उनका कर्तव्य नहीं है, और निराशावादी होते हैं कि भ्रष्ट लोग शक्तिशाली और प्रभावशाली लोग होते हैं और उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। तथापि, ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार के मामलों को अधिकारियों के समक्ष लाने का प्रयास तो करते हैं। यह वे लोग होते हैं जो बेचौन रहते हैं, जिनमें अपराध भावना नहीं होती है और जिन्हें समाज की भलाई के लिए कुछ करने में चौन मिलता है। भ्रष्टाचार एक बहुमुखी शैतान है, जिसको लोगों के सामूहिक प्रयास से ही पराजित किया जा सकता है। यदि जनसमुदाय यह मानस बना लें कि बेईमान राजनीतिज्ञों को नहीं चुना जाना है तो आधी बाजी जीत ली, लेकिन अहम् प्रश्न यह है कि क्या यह कभी होगा?

भारत जैसे प्रजातंत्र में क्या लोग कभी यह महसूस करेंगे कि भ्रष्टाचार जैसी समस्या से लड़ने के लिए उन्हें अहम् भूमिका निभानी है? वास्तव में अधिकतर भ्रष्टाचार इसलिए होता है क्योंकि लोग सहनशील होते हैं और इसके विरूद्ध हल्ला–गुल्ला नहीं करते हैं तथा शक्तिशाली मंच की कमी भी होती है। यद्यपि अनेक बुद्धिजीवी, शिक्षित, सुपरिचित और स्पष्टवादी नागरिक देश की इस शैतानी समस्या के प्रति चिंतित रहते हैं लेकिन वे अपना विरोध, शक्तिशाली जनमत बनाने में नहीं लगा पाते और असफल हो जाते हैं। जिम्मेदार और जागरूक नागरिकों का सम्मिलित प्रयास भ्रष्टाचार के स्तर को नीचे गिरा सकता है। हमारे विश्वविद्यालयों के छात्र भी ऐसे समाजोन्मुखी उद्देश्यों को लेकर इस बुराई के विरूद्ध आंदोलन प्रारंभ कर सकते हैं।

एक और प्रभावशाली उपाय ऐसे तरीकों को लागू करना हो सकता है जो राजनैतिक दलों को चुनावी धन को स्थाई रूप से प्राप्त करने में मदद करें, या केंद्रीय सरकार चुनाव कोष से चुनाव को वित्त व्यवस्था प्रदान करे। यह व्यवस्था जर्मनी, नार्वे, स्वीडन और युरोप के कुछ प्रगतिशील देशों में अपनाई जा रही है। राजनीतिक दलों को राज्य द्वारा आर्थिक सहायता पूर्व चुनावों में उनको मिले वोटों के आधार पर की जा सकती है। यह धन प्रति वोट के हिसाब से, यों कहिए दो रुपया प्रति वोट, या इसी प्रकार निश्चित किया जा सकता है। प्रति वोट के हिसाब से धन देने का विचार संसद में हाल के ही वर्षों में चर्चा का विषय बना है, लेकिन वर्तमान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार महसूस करती है कि वह नकद धन देने में असमर्थ है। यह सत्य प्रतीत नहीं होता। मुद्रास्फीति की वर्तमान दर पर संसद और विधान–सभाओं के चुनाव के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, क्योंकि चुनाव प्रति 5 वर्ष में होते हैं अतः सरकार को केंद्रीय बजट में केवल 200 करोड़ रुपये वार्षिक रखने होंगे, क्योंकि हमारा वार्षिक बजट 50,000 करोड़ रुपये से भी अधिक का होता है, इसका अर्थ हुआ कि वार्षिक बजट में 0.4 प्रतिशत ही चुनाव पर खर्च होगा। यदि सरकार यह समझती है कि इतना थोड़ा सा धन भी नहीं दिया जा सकता तो वोटों पर चुनाव कर लगाया जा सकता है। चुनाव को सरकारी सहायता भ्रष्टाचार को काफी हद तक कम करेंगी। चुनावों में राज्य द्वारा धन दिया जाना न केवल भ्रष्ट व्यापारियों एवं स्वार्थी समूहों से आने वाले योगदान को कम करेगा, बल्कि स्वतंत्र एवं स्वच्छ चुनावों में भी योगदान करेगा और विधायिकाओं में ईमानदार व्यक्तियों को आकर्षित करेगा तथा विविध पार्टियों द्वारा खर्च किए गए धन को समाप्त करेगा।[4] उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त, लोकपालों की नियुक्ति उच्चासीन लोगों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों को देखने के लिए एक प्रभावी उपाय सिद्ध हो सकता है। वर्तमान में 11 राज्यों में नियुक्त लोकपाल निष्प्रभावी हो गए हैं, क्योंकि कई अयोग्यताएँ और कमियाँ रह गई हैं। उनके ही अनुभवों से पता लगा कि लोकपालों के अधिकार विस्तृत किए जाने की आवश्यकता है। उनकी सिफारिशों को कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए। इनकी सिफारिशों को संसद पटल पर रखा जाना चाहिए और प्रचार माध्यमों द्वारा प्रकाशित किया जाना चाहिए। लोकपाल के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश या दो या तीन अन्य न्यायाधीश होने चाहिए। उनका चयन कार्यपालिका द्वारा न होकर चार लोगों की एक समिति द्वारा होना चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, और विपक्ष के नेता होने चाहिए। लोकपाल के पास स्वतंत्र जाँच तंत्र होना चाहिए।[5]

निष्कर्षः

अंत में यह कहा जा सकता है कि आजकल भ्रष्टाचार लोगों को कोई आघात नहीं पहुँचाता। जब इस प्रकार के कृत्य पकड़े भी जाते हैं, तब भी मंत्री और बड़े अधिकारी तो आजाद घूमते हैं। ज्यादा से ज्यादा उनका स्थानांतरण कर दिया जाता है। जब तक भ्रष्टाचार पर नैतिक, कानूनी और सामाजिक प्रतिबंध नहीं लगते तब तक इसको समाप्त करने या कम करने की कोई संभावना नहीं है। वैसे भ्रष्टाचार को सभी स्तरों पर जड़ से उखाड़ फेंकना संभव नहीं हैं, लेकिन इसे सहनशीलता की सीमा तक रोके रखना संभव है। भ्रष्टाचार एक कैंसर की तरह है जिससे प्रत्यक भारतीय को सावधान रहना है। सार्वजनिक जीवन में ईमानदार लोग, जो अपने चरित्र और ईमानदारी के लिए सुविख्यात हैं, आर्थिक क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण की कमी, उदारीकरण की नीति और चुनावी खर्चे में नियंत्रण, भ्रष्टाचार को रोकने के महत्त्वपूर्ण नुस्खे हो सकते हैं। लोगों ने भ्रष्ट व्यक्तियों को बहुत समय से सहन किया है। अब समय आ गया है जब गंभीर राजनैतिक शासकों द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने की बात को गंभीरता से लिया जाये।

संदर्भ–ग्रंथ–सूचीः

1. भ्रष्टाचार के ऐतिहासिक परिपेक्ष्य के सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन हेतु देखे, राम अहूजा, भारतीय समाज, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर एवं नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 386–388.

2. भ्रष्टाचार सम्बन्धी घोटालों के विस्तृत अध्ययन हेतु दैनिक भास्कर, 19 दिसम्बर, 2010. पृ.–11
3. पाण्डेय, अरूण, 1980, पृ. 20, हमारा लोकतन्त्र और जानने का अधिकार, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पेज–9
4. पांडेय, अरूण, 1980, पृ. 20–74, हमारा लोकतंत्र और जानने का अधिकार, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पेज–3
5. प्रतियोगिता दर्पण दिसम्बर माह, (2011) पृष्ठ– 898–99, 22, 23